न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 218 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. काछबाराम 2. बगताराम 3. हरिराम पुत्रान गुणेशाराम निवासी– भालानी, तहसील बागोडा, जालोर।		1. नानजीराम पुत्र मोहबताराम निवासी–मोरसीम, तह0 बागोडा 2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मोरसीम, बागोडा 3. राज0राज्य द्वारा तहसीलदार बागोडा, जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 01.11.2021 जो राजस्व प्रार्थना पत्र 51 / 2020 अनवान नानजीराम वगैराह बनाम काछबाराम वगैराह जो उपखण्ड अधिकारी, बागोडा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र 51 / 2020 अनवान नानजीराम वगैराह बनाम काछबाराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.11..2021 को प्रस्तुत की गई है। जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक द्वारा उपखण्ड अधिकारी बागोडा न्यायालय के समक्ष धारा 111 व 138 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना प्रस्तुत किया कि ग्राम मोरसीम के ख0सं0 922 / 1187 रकबा 3.84 हैक्टर की खातेदारी भूमि आई हुई है जिसके पडौस में ग्राम भालनी की सीमा व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 यानि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0सं0 57 रकबा 6.23 हैक्टर आई हुई है जिसमें

दोनों ग्रामों एवं पक्षकारों के बीच सीमा विवाद रहता है इस कारणसे उसकी पैमाइश करवाकर सीमाचिन्ह कायम करवाया जावे एवं पत्थरगढी करवाई जावें।

3. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के आवेदन पर अपीलान्ट के द्वारा जवाब पेश किया कि उक्त ग्रामों की काकड सीमा सेटलमेन्ट के समय स्थापित पत्थर संख्या 140, 141 को उनके वास्तविक जगह से हटाकर विवाद पैदा किया है। प्रार्थी के द्वारा उक्त माठ के खुर्दबुर्द करने व बदनियती से तोड दी उसके बाद पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की भूमि की पैमाइश करने से समस्या का समाधान नहीं होगा तथा इसके लिये ग्राम भालनी व मोरसीम के खेतों की पैमाइश कर उक्त गांवों की सीमा रेखा को सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार वास्तविक जगह पर कायम करवाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अपीलान्ट ने आपत्ति पेश करते हुए उसका विरोध किया।

4. उपखण्ड अधिकारी जिनके पास भू अभिलेख अधिकारी के अधिकार है, के लिये आवश्यक है कि वह विवादित सीमा को स्वंय तय करे तथा अपीलाधीन मामला दो गांवों के बीच की सीमा व उस पर लगे स्थाई सीमा चिन्ह के खुर्द बुर्द करने का विवाद था जिसके लिये हल के लिये विद्वान उपखण्ड अधिकारी को धारा 130 के अन्तर्गत कार्यवाही व जॉच करके सबसे पहले सीमाचिन्ह सेटलमेन्ट विभाग के दल से पैमाइश करवाकर उसकी जॉच रिपोर्ट लेना आवश्यक था। इसके बाद तहसीलदार को सीमाकंन का आदेश दे सकते है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर सीमा तय किये बिना सीधा तहसीलदार को सीमाकंन करवाने का दिनांक 1.11.2021 को आदेश पारित कर दिया है।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि दोनों गांवों की सीमा पर सेटलमेन्ट के समय से स्थापित स्थाई पत्थर संख्या 140 व 141 सेटलमेन्ट के जानकार अधिकारी, सर्वे दल प्रथम भूमाप के नक्शे ही स्थापित कर सकते है तहसीलदार को इस बारे में कोई अनुभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश धारा 130 व 128 के प्रावधानों की अनदेखी करके किया गया है क्योंकि धारा 128 में भू अभिलेख अधिकारी स्वयं को ही सीमा विवाद निस्तारण करने के अधिकार प्रदत्त किये गये है जबकि अपीलाधीन प्रकरण में ना0 तहसीलदार को उक्त प्रकार की कार्यवाही करने हेतु

निर्देशित किया गया है जो नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करावें।

6. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का एवं धारा 130 व धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अधिनस्थ न्ययालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 130 व 128 के प्रावधानों की अनदेखी की गई एवं दो ग्रामों के सीमा विवाद के सम्बन्ध में सेटलमेन्ट विभाग से पैमाइश करवाकर स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवाये जावे। धारा 128 में भू अभिलेख अधिकारी स्वयं को ही सीमा विवाद निस्तारण करने के अधिकार प्रदत्त किये गये है। उल्लेखित आब्जर्वेशनों के परिप्रेक्ष्य में हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अंकित खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की उपस्थिति तथा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बागोडा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी,बागोडा को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए एवं उल्लेखित रकबा भूमि के खातेदारान/ पक्षकारान को अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त विधि अनुरूप यथोचित कार्यवाही करे। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक नवम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर